**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1213**

**उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023**

**वित्त और ऋण की सुविधा**

**1213. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वित्त और ऋण सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच के अभाव की समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं को यह देखते हुए कि आमतौर पर महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती है, जो संपार्श्विक ऋण के लिए आवेदन करते समय एक समस्या के रूप में सामने आती है, संपार्श्विक ऋण की जगह नकदी प्रवाह प्रदर्शन के आधार पर ऋण देने का विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आंध्र प्रदेश में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत आंध्र प्रदेश में महिलाओं के स्वामित्व वाली परियोजनाओं के लिए संवितरित ऋण का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)**

(क) : सरकार ने देश में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)।
ii. आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिर कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
vi. एमएसएमई की शिकायतों के निवारण और उन्हें सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में "चैंपियंस" पोर्टल की शुरुआत।
vii. खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्नयन के मामले में 3 वर्षों के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार।
ix. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ।
x. बजट 2023-24 में सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रुपए के समावेशन की घोषणा की गई है जो ऋण लागत में कमी के साथ 2.00 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण सुविधा को सक्षम करेगा।

(ख) और (ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना कोलेटरल और तृतीय पक्ष गारंटी के बिना एमएसई को क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक), इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को 10,975 करोड़ रुपए की राशि के साथ 2,77,444 गारंटियां प्रदान की गई हैं।

(घ) : दिनांक 01.07.2020 से 08.02.2023 तक आंध्र प्रदेश में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत और वर्गीकृत महिलाओं के स्वामित्व वाली इकाइयों की संख्या **1,03,585 है ।**

(ङ) : प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत दिनांक 31.01.2023 तक महिलाओं के स्वामित्व वाले 1316 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई और महिलाओं के स्वामित्व वाले इन परियोजनाओं को 59.78 करोड़ रुपए की सब्सिडी विस्तारित की गई थी।

*****